न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

ीय अपील संख्या 14/2013

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
माधोसिंह सोलंकी, पटवारी–भूला तहसील पिण्डवाडा, सिरोही।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) सिरोही।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक भू0अ0/वि0जॉ0/13/1797 दिनांक 18.4.2013 बाबत अपीलान्ट की 5 वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रेवदर अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 11 सितम्बर, 2019

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा दिनांक 18.4.2013 को पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दिनांक 17.7.2013 को पेश की गई है। जिला कलेक्टर सिरोही ने अपीलान्ट के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलान्ट को उनकी पॉच वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट ने यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर सिरोही से विभागीय जॉच पत्रावली, अपील पर टिप्पणी इत्यादि तलब किये गये।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. हमने अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पटवारी रेवदर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान जिला कलेक्टर महोदय सिरोही के द्वारा इस आरोप से आरोपित किया कि "ग्राम रेवदर के ख0सं0 670 रकबा 8.13 में से 3.19 बीघा एवं ख0सं0 673 रकबा 6.14 में से 2.07 बीघा भूमि केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 के तहत 4 व 6 की अधिसूचना जारी होने के बावजूद उक्त भूमि खसरा नम्बर के विक्रय दस्तोवज के आधार पर नामा0 दायर कर भूमि का सिंचाई विभाग के नाम न कर अन्य खरीददार के नाम कर दी। जिससे अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड स्टेटमेन्ट के अनुसार काश्तकारों को भुगतान से वंचित होना पडा व राज्य सरकार को नामा0 के विरूद्ध अपील दायर करनी पडी। जिसके लिये आप उत्तरदायी है।"

4. अपीलान्ट ने आरोपित आरोप के सम्बन्ध में अपना प्रत्युतर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पेश करते हुए जॉच कार्यवाही को समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही ने आरोपित आरोप को अपीलान्ट पर प्रमाणित होना मान अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.2013 के द्वारा अपीलान्ट की पॉच वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित कर दिया गया।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही ने तथ्यों एवं वास्तविक स्थिति को जाने बिना ही आरोपित आरोप को प्रमाणित मान लिया जो न्यायोचित नहीं था क्योंकि उक्त खसरा संख्या 670 व 673 के खातेदारों ने अपने सम्पूर्ण हक–हिस्से के किये गये रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर नामा0 संख्या क्रमशः 1433 व 1424 दायर किये गये थे जिन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट के द्वारा दर्ज किये गये इन्हीं स्वीकृत नामा0 को अनियमित मानते हुए आरोपित किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि सुकड़ी सेलवाडा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये भूमि अवाप्ति हेतु दिनांक 8.8.2003 को धारा 4 के तहत तथा दिनांक 15.7.2004 को धारा 6 के तहत घोषणा जारी हुई थी जबकि अपीलान्ट द्वारा पटवारी रेवदर के पद का कार्यभार दिनांक 7/8.10.2004 को प्राप्त किया था। इस कारण से अपीलान्ट को उक्त परियोजना हेतु अवाप्ति की कार्यवाही धारा 4 व 6 की जानकारी नहीं थी और न ही पटवार मण्डल के बोर्ड पर ऐसी कोई सूचना तत्समय उपलब्ध पाई गई। उसके बावजूद भी जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट को अवाप्ति कार्यवाही की धारा 4 व 6 की अधिसूचना जारी होने के बाद अवाप्त भूमि के विक्रय विलेखों के आधार पर नामा0 दायर करने का दोषी मान लिया जो वास्तविकता के विपरित एवं अव्यवहारिक था।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय ने उक्त अवाप्त की गई भूमि सम्बन्धित खातेदारों के चैक से सबन्धित दिनांक 31.5.2005 का पत्र अपीलान्ट को दिनांक 2.6.2005 को तामील होना बताया तथा अवाप्त भूमि के बेचान के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 20.6.05 को नामा0 खोलने की कार्यवाही का कथन किया जबकि उक्त खातेदारों के चैक से सम्बन्धित पत्र अपीलान्ट को दिनांक 22.6.2005 को तामील करवाया गया। उक्त अवाप्त भूमि के बेचान के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा नामा0 दायर करने की कार्यवाही इससे पूर्व ही दिनांक 20.6.2005 को की गई थी। इसके अतिरिक्त ख0सं0 670, के सहखातेदार रता का हिस्सा सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक में रहन होने से तथा सहखातदेार धना, जगमाल की मृत्यु हो जाने से उनके चैकों का वितरण नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार ख0सं0 673 के सहखातेदार आम्बा द्वारा भूमि का बेचान कर देने से चैक का वितरण नहीं किया जा सकता। उक्त चैक अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 9.8.2005 को ही अन्य चैकों के साथ पुनः जमा करवा दिये थे। इन खातेदारों को चैकों का वितरण भी हो चुका था तथा खसरान भूमि सिंचाई

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

विभाग के नाम दर्ज हो चुकी थी। ऐसे में आरोपित आरोप में कथन वास्तविकता से परे थे।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त खसरा संख्या 670 व 673 की अवाप्त भूमि से सम्बन्धित बेचान दस्तावेजों का पंजीयन तहसीलदार रेवदर के द्वारा उप पंजीयक के रूप में किया था लेकिन उप पंजीयक यानि तहसीलदार रेवदर एवं ग्राम पंचायत रेवदर ने अवाप्त भूमि की सूचना एवं उनके विक्रय विलेखों की जानकारी होते हुए भी उक्त भूमियों के नामा0 कार्यवाही को रोकने बाबत कोई आदेश या निर्देश अपीलान्ट को नहीं दिये और न ही उपखण्ड अधिकारी रेवदर यानि भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा भी ऐसे कोई लिखित निर्देश अपीलान्ट को जारी नहीं किये गये थे कि इस प्रकार के नामा0 की कार्यवाही को रोका जा सके तो अपीलान्ट के द्वारा स्वतः कैसे मान लिया जाता कि अवाप्त भूमि के नामा0 दर्ज नहीं करने है।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि तहसील क्षेत्र रेवदर के ग्राम यथा सापोल के ख0सं0 555, ग्राम राजगढ के ख0सं0 172, ग्राम मारोल के ख0सं0 737, ग्राम दोलपुरा के ख0सं0 528, ग्राम सेखा के ख0सं0 279, ग्राम छापोल के ख0सं0 549, ग्राम थल के ख0सं0 29 व ग्राम सेलवाडा के ख0सं0 1023 इत्यादि ग्रामों में इस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं हेतु अवाप्त भूमि बाबत जारी धारा 6 के तहत जारी घोषणा एवं धारा 11 के अधिनिर्णय के पश्चात भी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर पदस्थापित पटवारियों के द्वारा भी नामान्तरकरण दायर किये गये थे तथा नामा0 स्वीकृत किये जाने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिनके विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय ने कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित नहीं की थी। तहसीलदार रेवदर ने अपना बचाव करने के लिये मात्र अपीलान्ट पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही प्रस्तावित कर दी।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि एक तरफ तो जिला कलेक्टर महोदय अवाप्त भूमियों के विक्रय विलेखों के आधार पर दायर किये गये

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

नामा0 की प्रक्रिया को अवाप्ति अधिनियम के अनुसार सही मान कर राज्य सरकार को अवार्ड घोषणा हेतु सिफारिश कर रहे है और खरीददारों को अवार्ड राशि का भुगतान कर रहे जबकि दूसरी तरफ अपीलान्ट के द्वारा विक्रय विलेख प्रस्तुत होने के आधार दायर किये गये नामा0 को अवैध मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया गया है जो एक–दूसरे के विपरित कार्यवाही यानि विरोधाभाषी दोहरी नीति अपनाते हुए एकमात्र अपीलान्ट कार्मिक को आनुपातिक दृष्टि से इतने अधिक दण्ड से दण्डित करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त फरमाया जावे।

11. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा न तो किसी प्रकार से राजकीय राशि का गबन/दुरूपयोग किया गया और न ही अनियमितता बरती गई और न ही रेकर्ड में कांट–छांट या हेराफेरी की गई थी, मात्र नामान्तरकरण कार्यवाही करने जो कि एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है, को आधार मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर बहुत अधिक दण्ड यानि अपीलान्ट की पॉच वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का, दण्डादेश पारित किया है जिससे अपीलान्ट को उनकी राजकीय सेवा में विपरित टिप्पणी करने वाला तथा आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला है, जो निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

12. हमने अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस को सुना तथा जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रेषित कार्यालय पत्रावली, दस्तावेजों तथा अपील पर की गई टिप्पणी का अवलोकन किया। अपील पर अपीलान्ट की सुनवाई किये जाने पूर्व न्यायालय की ओर से अपील में अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तथ्यों यानि "तहसील क्षेत्र रेवदर के ग्राम यथा सापोल के ख0सं0 555, ग्राम राजगढ के ख0सं0 172, ग्राम मारोल के ख0सं0 737, ग्राम दोलपुरा के ख0सं0 528, ग्राम सेखा के ख0सं0 279, ग्राम छापोल के ख0सं0 549, ग्राम थल के ख0सं0 29 व ग्राम सेलवाडा के ख0सं0 1023 इत्यादि ग्रामों में इस

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं हेतु अवाप्त भूमि बाबत जारी धारा 6 के तहत जारी घोषणा एवं धारा 11 के अधिनिर्णय के पश्चात भी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर पदस्थापित पटवारियों के द्वारा भी नामान्तरकरण दायर किये गये थे तथा नामा0 स्वीकृत किये जाने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिनके विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय ने कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित नहीं की थी।" के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सिरोही के माध्यम से टिप्पणी तलब की गई जिस पर उनके द्वारा तहसीलदार रेवदर से टिप्पणी प्राप्त की गई।

तहसीलदार रेवदर ने अपने पत्रांक 362 दिनांक 14.3.2019 में टिप्पणी अंकित कर जिला कलेक्टर सिरोही को प्रेषित किया और जिला कलेक्टर सिरोही ने अपने पत्रांक 2407 दिनांक 22.08.2019 के द्वारा तहसीलदार रेवदर का पत्र संलग्न कर इस न्यायालय को भिजवाया जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया कि सुकली सैलवाडा के मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नहर निर्माण में धारा 4 व 6 अवाप्ति पश्चात आने वाली भूमि के पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

13. हमने जिला कलेक्टर सिरोही के कार्यालय के पत्रावली का भी अवलोकन किया जिसमें यह अपीलान्ट को उक्त ग्रामों में मध्यम सिचांई परियोजनाओं के नहर निर्माण हेतु जारी अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 की जानकारी या तहसीलदार रेवदर कार्यालय की ओर से इस बाबत जारी पत्रों/निर्देशों की जानकारी आरोप में वर्णित नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व रही होगी। अधिनस्थ अनुशासनिक अधिकारी के रेकर्ड से यह कही भी नहीं है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को सिंचाई विभाग के नाम दर्ज करने का कोई आदेश पटवारी हल्का को दिया गया हो और अपीलान्ट के द्वारा जानबूझकर उक्त खसरा भूमि को सिंचाई विभाग के नाम न कर विक्रय दस्तावेज के आधार पर अन्य खरीददार के नाम नामान्तरकरण करने की कार्यवाही कारित की हो।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

14. ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार कार्यालय के समक्ष पंजीकृत विक्रय विलेख प्रस्तुत होने पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण दायर नहीं करने से किसी कार्मिक/पटवारी को नियमानुसार पाबन्द नहीं किया जा सकता। उसको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की जिम्मेदारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी की होती है।

15. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट पटवारी पर आरोपित आरोप के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सिरोही की ओर से प्रेषित पत्रावली में भी ऐसे कोई तथ्य अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाये गये जिससे यह प्रकट हो जाता हो कि ग्राम रेवदर के उक्त खसरा नम्बरान 670 व 673 हेतु भूमि अवाप्ति की धारा 4 व 6 की अधिसूचना जारी होने का ज्ञान पूर्व से ही रहा था और उसके बावजूद उसके द्वारा जानबूझकर नामान्तरकरण सिचांई विभाग के नाम दर्ज न कर अन्य विक्रेतागण के पक्ष में नामान्तकरण दायर करने की कार्यवाही सम्पादित की हो।

16. अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया था कि तहसील क्षेत्र रेवदर के ग्राम यथा सापोल के ख0सं0 555, ग्राम राजगढ के ख0सं0 172, ग्राम मारोल के ख0सं0 737, ग्राम दोलपुरा के ख0सं0 528, ग्राम सेखा के ख0सं0 279, ग्राम छापोल के ख0सं0 549, ग्राम थल के ख0सं0 29 व ग्राम सेलवाडा के ख0सं0 1023 इत्यादि ग्रामों में इस प्रकार कीं सिंचाई परियोजनाओं हेतु अवाप्त भूमि बाबत जारी धारा 6 के तहत जारी घोषणा एवं धारा 11 के अधिनिर्णय के पश्चात भी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर पदस्थापित पटवारियों के द्वारा भी नामान्तरकरण दायर किये गये थे तथा नामा0 स्वीकृत किये जाने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिनके विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय ने कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित नहीं की थी।'' इन तथ्यों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा प्रेषित टिप्पणी में कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य पटवारी/कार्मिक के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना अंकित किया गया। उक्त प्रकार की कार्यवाही हेतु

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

मात्र अपीलान्ट पटवारी को दोषी मान दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

17. ऐसे में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हम यह उचित समझते है कि अपीलान्ट/पटवारी को अपीलाधीन आदेश के द्वारा दिया गया दण्ड प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने तथा आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रतीत होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नहीं है जिसे निरस्त किया जाना उचित होगा।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2013 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर